**न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.**

**पीठासीन अधिकारी** : **श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0**
**राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या** : **(151/19) 423/2019**

वादीगणः-

1. मांगीलाल पुत्र धन्नाराम, जाति-गुर्जर, निवासी-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगणः-

1. अदूल पुत्र भीका
2. भाला पत्नी भीका
3. सुरेश पुत्र रामा
4. श्याम पुत्र रामा
5. बबलू पुत्र रामा
6. सुशीला पुत्री रामा
7. रेखा पुत्री रामा
8. गीता पुत्री रामा
9. शोकिन पुत्र इस्माईल
10. हाकम पुत्र इस्माईल
11. सुबानी पत्नी इस्माईल
12. रामा पुत्र अन्ना
13. सुबान पुत्र अन्ना
14. नुरा पुत्र समा
15. राजू पुत्र पेमा
16. मोहन पुत्र पेमा
17. घीसी बेवा पेमा जाति-मेहरात, निवासी-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण।
18. सोहनसिंह पुत्र मेहताब जाति-मेहरात, निवासी-नानणा, तहसील-रायपुर, जिला-पाली।
19. रेशमा पुत्र पदा जाति-मेहरात, निवासी-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण।
20. तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

**राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955** **तारीख रजूः.16/07/2019**

**उपस्थितः-**
1. श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, वादी।

**दिनॉकः- 27/11/2019**

## -:: निर्णय ::-

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-टूंकड़ा, पटवार हल्का-टूंकड़ा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 19 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 275 रकबा 00-03 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 276 रकबा 51-14 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 282 रकबा 00-02 बीघा किस्म

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

मुमकिन तेड़ कुल रकबा 51-19 बीघा आई हुई है। उक्त भूमि की जमाबंदी नकल व ट्रेस नक्शा की नकल दावा के साथ पेश की जा रही है जिसे दावा का एक आवश्यक भाग माना जावें एवं सम्पूर्ण भूमि में का 1/10 वां हिस्सा आता है। जिस पर वादी काबिज होकर शांति पूर्वक काश्त कार्य करता आ रहा है। मुतनाजा जमीन के राजस्व रेकर्ड में वर्णित हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से काश्त करते आ रहे है एवं वादी के हिस्से की भूमि तरमीम नहीं होने से आपस में विवाद रहता है। इसलिए मुतनाजा जमीन का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के किया जाना जरूरी है। वादी अपने हिस्से की जमीन का बंटवाड़ा कराये बिना बैंक से ऋण नहीं ले सकते और न अपने हिस्से की जमीन का सुधार करवा सकते है इसलिए बंटवाड़ा करके वादी के हिस्से की जमीन को तरमीम किया जाकर खाता अलग किया जावे और लगान भी अलग किया जावे ताकि मौके पर आपस में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सके। इसलिए दावा बंटवाड़ा प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश है। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त खातेदारी जमीन का बंटवाड़ा करने के लिए कई बार कहा लेकिन प्रतिवादीगण यह कहते रहे कि बंटवाड़ा करवा लेंगे लेकिन आज तक बंटवाड़ा नहीं कराने से यह वाद पेश किया जा रहा है मौके पर हर रोज माठ को लेकर आपस में विवाद होता रहता है। यदि मौके पर कब्जा अनुसार बंटवाड़ा नहीं किया गया तो पक्षकारान् आपस में झगड़ा करेंगे जिससे वादी के अपने हिस्से की जमीन का सुधार भी नहीं करवा सकेंगे तथा जिससे वादी को नुकशान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति प्रतिवादीगण किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेंगे। विविध प्रकार के मुकदमें बाजी होगी इसलिए मुतनाजा भूमि का बंटवाड़ा किया जाना जरूरी है। प्रतिवादी संख्या 20 तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर होने से व दावा बंटवाड़ा का होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है इससे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। बिनाय वाद दिनांक 28/06/2019 को प्रतिवादीगण ने मुतनाजा जमीन का बंटवाड़ा कराने से साफ इंकार करने पर बमुकाम टूंकड़ा में पैदा हुआ जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार में है व वाद अंदर म्याद पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन्नस् वास्ते जवाब दावा तलब किये गयें। प्रतिवादीगण 01 से 02 व 04 से 21 बावजुद सम्मनस् तामिल / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 03 फौत होने से उनके विधिक वारिसान पूर्व से ही वादपत्र / रेकर्ड पर होने से प्रति. सं. 03 का नाम वादपत्र से हटाया गया। वाद के समर्थन में वादी का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया सा.मि.किया गया। बहस वकील वादी सुनी गई।

बहस दौरान वकील वादी ने जाहिर किया कि उक्त विवादित आराजी में वादी का सम्पूर्ण भूमि में 1/10 हिस्सा हैं। वादी का कब्जा काश्त हैं। वादी के कब्जे काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करवाया जाकर वादी के हिस्से की भूमि की अलग से तरमीम करने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र, दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः जमाबन्दी सं. 2073-76 का अवलोकन किया गया। उक्त प्रश्नगत आराजी में वादी सरहद मौजा टूंकड़ा के खसरा नं. 275 रकबा 0-03 बीघा, किस्म गै.मु. बेरा, ख.नं. 276 रकबा 51-14 बीघा, किस्म बारानी अव्वल एवं ख.नं. 282 रकबा 0-02 बीघा किसम गै.मु.तेड़ कुल रकबा 51-19 बीघा भूमि में सहखातेदारान के साथ खातेदार हैं, विवादित भूमि के सम्पूर्ण हिस्से में 1/10 हिस्सा का खातेदार काश्तकार हैं। अपने हिससे की आराजी का बाई मिट्स

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

बाउण्ड्स के बंटवाड़ा चाहता हैं। चूंकि खसरा नं. 275 रकबा 0-03 बीघा, किस्म गै.मु. बेरा एवं ख.नं. 282, रकबा 0-02 बीघा, किस्म गै.मु.तेड हैं। जिनका नियमानुसार विभाजन नही हो सकता हैं। शेष खसरा नम्बर ख.नं. 276 रकबा 51-14 बीघा, किस्म बारानी अव्वल के सम्पूर्ण हिस्से में वादी के 1/10वें हिस्से की भूमि का राजस्व रेकर्ड के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा किये जाने की प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-टूंकड़ा, पटवार हल्का-टूंकड़ा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 19 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 275 रकबा 00-03 बीघा किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 276 रकबा 51-14 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 282 रकबा 00-02 बीघा किस्म गैर मुमकिन तेड़ कुल रकबा 51-19 बीघा में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2019/7814 दिनांक 21/10/2019 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2019/5910 दिनांक 27/11/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वदी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी की सुनी गई। पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

**-:: आदेश ::-**

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-टूंकड़ा, पटवार हल्का-टूंकड़ा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 19 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 276 रकबा 51-14 बीघा किस्म बारानी अव्वल बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा बीघा बिस्वा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मांगीलाल पुत्र धन्नाराम कौम गुर्जर सा. देह खातेदार | 276/1 | 05-03 | बारानी अव्वल | 2.58 |
| 2 | अदुल पुत्र भीका, भाली बेवा भीका 1/14 प्रेमी बेवा रामा सुरेश श्याम बबलू सुशीला पि. रामा रेखा गीता पुत्रियां रामा 1/14 हनुमान 1/14 शोकिन 1/14 हाकम 1/14 पि. इस्माइल सुबानी पत्नी इस्माइल 1/14 रामा सुबान पि. अना 1/14 नूरा पुत्र समा 1/2 = 517/931 राजू मोहन पि. पेमा राजू मोहन नाबा. वली माता घीसी 1/8 रामा पुत्र हीरा 1/4 रेशमा पुत्र पदा 1/4 कौम मेहरात सा.देह सोहनसिंह पुत्र मेहताब 3/8 कौम | 276 | 46-11 | बारानी अव्वल | 23.27 |

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण

Scanned by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | मेहरात सा. नानणा =414/931 खातेदार | | | | |
| | योग | 2 | 51-14 | | 25-85 |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 27/11/2019 को सरे ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

## डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
### (ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकामः– जैतारण
बईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

1. मांगीलाल पुत्र धन्नाराम,
जाति–गुर्जर, निवासी–टूंकड़ा,
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
(राज.)

बनाम

1. अदूल पुत्र भीका
2. भाला पत्नी भीका
3. सुरेश पुत्र रामा
4. श्याम पुत्र रामा
5. बबलू पुत्र रामा
6. सुशीला पुत्री रामा
7. रेखा पुत्री रामा
8. गीता पुत्री रामा
9. शोकिन पुत्र इस्माईल
10. हाकम पुत्र इस्माईल
11. सुबानी पत्नी इस्माईल
12. रामा पुत्र अन्ना
13. सुबान पुत्र अन्ना
14. नुरा पुत्र समा
15. राजू पुत्र पेमा
16. मोहन पुत्र पेमा
17. घीसी बेवा पेमा जाति–मेहरात,
निवासी–टूंकड़ा, तहसील–जैतारण।
18. सोहनसिंह पुत्र मेहताब जाति–मेहरात,
निवासी–नानणा, तहसील–रायपुर,
जिला–पाली।
19. रेशमा पुत्र पदा जाति–मेहरात,
निवासी–टूंकड़ा, तहसील–जैतारण।
20. तहसीलदार, जैतारण
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

<u>राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> मु०न०: (151/19) 423/2019

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ................ व हाजरी श्री जगदीश सोलंकी अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–टूंकड़ा, पटवार हल्का–टूंकड़ा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 19 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 276 रकबा 51–14 बीघा किस्म बारानी अव्वल बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

| क्र. सं. | नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत | खसरा नम्बर | रकबा बीघा बिस्वा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मांगीलाल पुत्र धन्नाराम कौम गुर्जर सा. देह खातेदार | 276/1 | 05-03 | बारानी अव्वल | 2.58 |

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

Scanned by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | अदुल पुत्र भीका, भाली बेवा भीका 1/14 प्रेमी बेवा रामा सुरेश श्याम बबलू सुशीला पि. रामा रेखा गीता पुत्रियां रामा 1/14 हनुमान 1/14 शोकिन 1/14 हाकम 1/14 पि. इस्माइल सुबानी पत्नी इस्माइल 1/14 रामा सुबान पि. अना 1/14 नूरा पुत्र समा 1/2 = 517/931 राजू मोहन पि. पेमा राजू मोहन नाबा. वली माता घीसी 1/8 रामा पुत्र हीरा 1/4 रेशमा पुत्र पदा 1/4 कौम मेहरात सा.देह सोहनसिंह पुत्र मेहताब 3/8 कौम मेहरात सा. नानणा =414/931 खातेदार | 276 | 46-11 | बारानी अव्वल | 23.27 |
| | **योग** | **2** | **51-14** | | **25-85** |

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 27/11/2019 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला–पाली)

---

| मुद्दई | रूपये पैसे | मुद्धायलाह | रूपये पैसे |
|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 03 – 00 | स्टाम्प वकालतनामा | |
| स्टाम्प वकालतनामा | 01 – 00 | स्टाम्प अर्जी | |
| स्टाम्प वजह सबूत | – | महनताना वकील | |
| महनताना वकील | – | खर्चा गवाहान | |
| खर्चा गवाहान | 08 – 00 | फीस कमीश्नर | |
| फीस कमीश्नर | – | बाबत ईजराय हुक्मनामा | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा | – | मुत्फरिक | |

---

मिजानः–          मिजानः–

---

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.11.29 17:34:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: